कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ।

पत्र सं0: प-1018/एफ0एस0-2006

दिनांक: फरवरी 02 ,2018

सेवा में,

प्रबन्धक/स्वामी
भू-खण्ड सं0-74,79 जानकीपुरम
सीतापुर रोड लखनऊ।

विषयः- भू-खण्ड संख्या-74,79 जानकीपुरम सीतापुर रोड लखनऊ पर निर्मित आवासीय बहुमजिला भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्था का अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अपने पत्र दिनांकः रहित का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उपरोक्त विषयक है।

उक्त विषयक इस कार्यालय के द्वारा निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति-प्रमाण-पत्र, एन0बी0सी0 तथा भवन निर्माण विकास उपविधि-2008 एंव अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से निरीक्षण/परीक्षण कराया गया। तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये:-

भवन की संरचनाः-

1- भवन का कुल प्लाट एरिया - 3838.28 वर्गमीटर है।

2- प्रश्नगत भवन स्टिल्ट तल से आठवें तल प्रत्ये कतल का कवर्ड एरिया-862.6 वर्गमीटर

3- प्रश्नगत भवन की ऊचाई 26.4 मीटर

प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की रेजीडेसिंयल भवन की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है ।

ढॉचागत व्यवस्थाः

1- पहुंच मार्ग- प्रश्नगत भवन **12** मीटर चौड़े पर निर्मित है।

2- प्रवेश द्वार की चौडाईः- प्रवेश/निकास द्वार उपलब्ध है ।

सेटबैक-: भवन का सेट बैंक निम्नवत है:-

- अगभाग- 09.00 मीटर
- पृष्ठभाग- 09.00 मीटर
- पार्श्वभाग प्रथम- 09.00 मीटर
- पार्श्वभाग द्वितीय- 09.00 मीटर

उपरोक्तानुसार उपलब्ध सेट बैक को सदैव अवरोध मुक्त रखेगे सेटबैक में किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण मान्य नही होगा।

निकास द्वार- प्रश्नगत भवन में 02 एक स्टेयरकेस प्रत्येक की चौडाई 1.20 मीटर चौडाई की निर्मित है ।

अग्निसुरक्षा व्यवस्थाः प्रश्नगत भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इडिंया-2016 के अनुसार निम्नाकिंत अग्निशमन व्यवस्था उपलब्ध पाई गई:-

1- प्रथमिक अग्निशमन उपकरणः- प्रश्नगत भवन में भारतीय मानक ब्यूरों के आई0एस0 2190 के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूसर उपलब्ध पाया गया ।

3 -होजरील-प्रश्नगत भवन के प्रत्येक तल पर होजरील का प्राविधान किया गया है ।

4-डाउनकमर- प्रत्येक तल पर डाउनकमर का प्राविधान करते हुये प्रत्येक तल पर होज बाक्स बनाकर 15-15 मीटर के होज पाइप,ब्रान्च इत्यादि रखे गये है जो कार्यशील दशा में उपलब्ध है ।

4- टेरिस टैंक- प्रश्नगत भवन के टेरिस पर 25000 लीटर क्षमता का टेरिस टैंक का प्राविधान किया गया है ।

5- टेरिस पम्प- प्रश्नगत भवन के टेरिस पर 900 ली0प्र0मि0 क्षमता टेरिस पम्प का प्राविधान किया गया है ।

6- हस्तचालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः प्रश्नगत भवन में मैनुअली आपरेटेड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सि0 का प्राविधान किया गया है।

11- एग्जिट साइनेजः- सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेज स्थापित किये गये है।

12- सम्पूर्ण अग्निसुरक्षा व्यवस्था को अलग लाइन डालकर वैकल्पिक विद्युत स्रोत से जोडा जाय ।

अतः उपरोक्तानुसार भू-खण्ड संख्या-74,79 जानकीपुरम सीतापुर रोड लखनऊ पर निर्मित आवासीय बहुमजिला भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है:-

1- भवन स्वामी/ प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मेन्टीनेन्स शैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाये।

2- भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।

3- किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा अविलम्ब पाई गई त्रुटि का निवारण किया जाय।

5- प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/ फायर सर्विस ड्रिल करायी जाय तथा इमर्जेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाये इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान की जाये।

6- वर्ष में एक बार अग्निशमन उपकरणों के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

7- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण फायर फाइटिंग सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

8- विद्युत सुरक्षा का प्रमाण पत्र विद्युत विभाग से लेना अनिवार्य होगा।

9- उक्त शर्तो/ निर्देशो का उल्लंघन होने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

02/02/2018

(ए0बी0पाण्डेय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
लखनऊ।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ

प्रतिलिपिः- अग्निशमन अधिकारी, बीकेटी को सूचनार्थ एवं आ0का0हेतु।